न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/31/2014	2014/00084	18.09.2014	09.05.2022

1. हजारीलाल पुत्र श्री हरसहाय, जाति मीना, निवासी दानपुर, तहसील रैणी, जिला अवलर।

अपीलाण्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रैणी जिला अलवर।

असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रैणी दिनांक 11.09.2014 प्रकरण संख्या 04/2014 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थितः–

01. श्री मनमोहन शर्मा –वकील अपीलाण्ट

02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 11.09.2014 प्रकरण संख्या 04/2014 जिसके द्वारा संवत 2071 में ग्राम दानपुर की आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.25, 06 रकबा 0.35 कुल किता 02 रकबा 0.60 है0 किस्म चारागाह में अतिक्रमित रकबा 0.60 है0 में पडत जोत लगाए जाने पर बेदखली की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड/पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। साथ ही तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार रैणी के आदेश 11.09.2014 अपीलान्ट को बगैर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए ही एक तरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का ईंटोली द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश रिपोर्ट अनुसार संवत 2071 आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.25, 06 रकबा 0.35 कुल किता 02 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम दानपुर पर फसल बाजरा बोकर अतिक्रमण किया है। जो आराजी राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है जिस रिपोर्ट

09/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

पर तहसीलदार रैणी द्वारा अपीलान्ट को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया गया और सुनवाई हेतु आगामी पेशी 25.07.2014 नियत की गई। अपीलान्ट द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जिसमें अपीलान्ट ने कहा कि आराजी खसरा न0 06 रकबा 0.30 ऐयर पर मिन प्रार्थी का सन 1985 से लगातार कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी स्वयं की खातेदारी से लगती हुई है। उक्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी राजगढ के न्यायालय में दुरूस्ती का दावा चल रहा है। अपीलान्ट का चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है एवं ग्राम रैणी एवं परवैणी व दानपुर की सीमाऐं एक–दूसरे से मिली हुई है और चारागाह का रकबा है जो सीमा पर पडता है। अपीलान्ट व अन्य लोगों ने कई बार तहसील में उपस्थित होकर निवेदन किया कि तीनों गांव की सीमा का निर्धारण किया जावे। जिससे की चारागाह की जमीन एवं खातेदारों की जमीन की सीमा का सही निर्धारण हो सके।

पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट बाबत किए जाने अतिक्रमण अपीलान्ट के विरूद्ध पेश की है। उस रिपोर्ट में केवल संवत 2071 की खरीफ की फसल में आराजी हाल खसरा न0 01 रकबा 0.25 है0 व खसरा न0 06 रकबा 0.35 है0 पर बाजरे की फसल बोना अंकित किया गया है। पटवारी की रिपोर्ट में पहले के किसी संवत में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करना अंकित नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिया गया और निर्णय में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 अंकित किया गया है। यानि अपीलान्ट को न तो धारा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया गया और न ही फैसले के उनवान में तहसीलदार जी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम अंकित किया गया है जबकि अपीलान्ट को सजा 91(3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत सुनाई गई है। धारा 91 (3) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी को सजा सुनाने से पूर्व कानूनन यह आवश्यक है कि उसके विरूद्ध पूर्व में न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद बेदखली का आदेश दिया हो और उस आदेश की पालना में मौके से वास्तविक रूप से बेदखल किया गया हो और न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेश पत्रावली पर पेश किया जाना आवश्यक है जबकि इस निर्णय को देखने से यह पता चलता है कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार रैणी द्वारा पूर्व में अपीलान्ट के विरूद्ध कोई बेदखली का आदेश नहीं दिया गया और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश गैर कानूनी है जिससे निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट का चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी की पैमाईश करवाई जाकर अगर यह पाया जावे कि अपीलान्ट का चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण है तो अपीलान्ट अपना कब्जा तुरन्त हटाने को तैयार है और आगे भी अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में अन्डरटेकिंग देने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अपीलान्ट एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है। इस समय काश्त का समय है। अगर मुकामी पुलिस ने इस आदेश के मुताबिक अपीलान्ट को गिरफ्तार कर लिया तो अपीलान्ट बर्बाद हो जायेगा। अपीलान्ट के परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2014 को निरस्त फरमावें।

09/05/2022
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

तहत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार संवत 2071 वाके ग्राम दानपुर के आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.25 है0 व खसरा न0 06 रकबा 0.35 है0 कुल किता 02 रकबा 0.60 है0 में पडत जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जवाब में दिनांक 25.07.2014 को कथन किया गया कि मिन अपीलान्ट का आराजी खसरा न0 06 रकबा 0.30 है0 पर करीब वर्ष 1985 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से लगती हुई है, कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की दैनिक डायरी दिनांक 14.05.2014 एवं फर्द मौका बेदखली दिनांक 14.05.2014 के द्वारा अपीलान्ट हजारीलाल पुत्र श्री हरसहाय, जाति मीना, निवासी दानपुर, तहसील रैणी, जिला अवलर को बेदखल किए जाने का अंकन किया हुआ है एवं मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 02.12.2014 वाके ग्राम दानपुर में भी आराजी खसरा न0 01 व 06 किस्म चारागाह भूमि से अतिक्रमण जे0सी0बी0 द्वारा हटाये जाने का अंकन किया हुआ है। इसी प्रकार पटवारी हल्का ईंटोली ने दिनांक 21.08.2014 को बयान दिए की ग्राम दानपुर के आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.25 है0 व 06 रकबा 0.35 है0 पर संवत 2071 में पडत जोत लगाकर अतिक्रमी हजारीलाल पुत्र हरसहाय जाति मीना निवासी दानपुर ने अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमी ने इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

हमने न्यायालय की पत्रावली का एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं चिन्तन–मनन किया। अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट आराजी खसरा न0 01 रकबा 0.25 है0 व 06 रकबा 0.35 है0 किस्म चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी सिद्ध होना पाया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी का निर्णय दिनांक 11.09.2014 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रैणी के निर्णय दिनांक 11.09.2014 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 18.09.2014 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/05/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार